

लोक सुनवाई का वृत्त।

श्री नागेन्द्र कुमार, पिता-श्री मुन्द्रिका राय, न्यू गोसाई टोला, पो0+थाना-दानापुर, जिला-पटना द्वारा नालंदा लोकाईन-01 एवं 04 बालूघाट, मौजा+ग्राम- कोबिल, ब्लॉक-एकंगरसराय जिला-नालंदा के अन्तर्गत परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति के वास्ते पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं0-एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 के तहत दिनांक 30.08.2023 को अपराहन 03:00 बजे नालंदा जिला के अंचल कार्यालय, एकंगरसराय, जिला-नालंदा में लोक सुनवाई की गयी।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार अधिसूचना सं0-एस.ओ. 1533, दिनांक 14 सिम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत राज्य स्तरीय पर्यावरणीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार के द्वारा निर्गत TOR File.No.SIA/1(a)/2429/2023, dated 06.06.2023 के आलोक में श्री मंजीत कुमार, अपर समाहर्ता, नालंदा (जिला पदाधिकारी, नालंदा के प्रतिनिधि) की अध्यक्षता में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, द्वारा दिनांक 30.08.2023 को अपराहन 03:00 बजे अंचल कार्यालय, एकंगरसराय, जिला-नालंदा में लोक-सुनवाई आयोजित की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक-1)

इस लोक-सुनवाई की सूचना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा हिन्दुस्तान एवं प्रभात खबर के माध्यम से दिनांक 29.07.2023 को प्रकाशित की गयी थी (प्रतिलिपि संलग्न)। लोक-सुनवाई के दौरान श्री आशीष कुमार गुप्ता, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, पटना द्वारा लोक-सुनवाई में उपस्थित जन-समुदाय एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं0-एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक-सुनवाई की पृष्ठ-भूमि पर प्रकाश डाला गया। लोक हित में कार्य योजना से संबंधित सुनवाई के उद्देश्य से उपस्थित लोगों को अवगत कराया गया। साथ ही स्थानीय लोगों से पर्यावरण संरक्षण एवं लोक हित के संबंध में सुझाव/विचार/मंतव्य माँगा गया।

लोक सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष के अनुमति से परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री आमीर अख्तर ने इकाई की खनन कार्य परियोजना, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं कॉरपोरेट पर्यावरण जिम्मेदारी (Corporate Environmental Responsibility) आदि के संबंध में आमजनों को विस्तृत रूप से अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि खनन कार्य के उपरान्त परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल-कण की रोक-थाम हेतु सड़को पर नियमति रूप से जल छिड़काव किया जायेगा। वाहनों पर ओवरलोडिंग नहीं की जायेगी। वाहनों को तिरपाल से ढक कर ले जाया जायेगा। खनन कार्य सतह से 1 मीटर की गहराई तक या भू-जल स्तर से ऊपर तक किया जायेगा। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु ध्वनि यंत्र (हार्न) का न्यूनतम उपयोग किया जायेगा। पुराने एवं खराब वाहनों का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। सड़क के किनारे एवं खनन पट्टा क्षेत्र में वृक्षारोपण (97 नं0)का कार्य किया जायेगा। बालू खनन के दौरान पर्यावरण,

वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के Sustainable Sand Mining Management

Guidelines 2016 (SSMG-2016) एवं Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining-2020 (EMGSM-2020) के प्रावधानों का अनुपालन किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तुतिकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिए गए सुझाव/मंतव्य निम्नवतः है:-

क्रमांक	नाम एवं पता	प्रतिक्रिया/सुझाव
1.	श्री पप्पू कुमार, ग्राम-कोबिल, जिला-नालंदा।	इनके द्वारा बताया गया कि बालू खनन परियोजना के दौरान बालू से लदा वाहन फुल साउण्ड में गाना बजाते हुए जाते हैं। पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि इस परियोजना के तहत बालू लदा गाड़ी का Speed Limit होगा। बाजा बजाते हुए गाड़ी का परिवहन नहीं होगा। PUC निबंधित वाहन का ही उपयोग किया जायेगा।
2.	श्री कपूर प्रसाद, ग्राम-कन्हैयापुर, जिला-नालंदा।	इनके द्वारा पूछा गया कि बालू खनन परियोजना के दौरान बालू का उठाना लेवर से होगा या मशीन से किया जायेगा। पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि इस परियोजना के तहत बालू का कार्य लेवर एवं मशीन दोनों से किया जायेगा।

अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि बालू का उपयोग निर्माण कार्य में किया जाता है एवं राज्य का विकास होता है। विकास के साथ पर्यावरण पर भी ध्यान देना आवश्यक है।

जिला खनन पदाधिकारी, नालंदा द्वारा बताया गया कि वाहनों से बालू ले जाने के क्रम में नियमित रूप से परिवहन मार्ग पर जल छिड़काव करेंगे एवं बालू से लदे वाहनों को तिरपाल से ढक कर ही ले जायेंगे। बालू की खुदाई 1 मीटर ही करेंगे। उन्होंने उम्मीद जताया कि इकाई प्रबंधन द्वारा इन उपरोक्त बिन्दुओं पर गम्भीरता से ध्यान रखा जायेगा। साथ ही वैज्ञानिक तरीके से बालू खनन का कार्य एवं विभागीय निर्देश का अनुपालन किया जायेगा।

पौधों का रख-रखाव स्थानीय ग्रामीण के द्वारा ही सुनिश्चित कराया जाय।

उनके द्वारा बताया गया कि अगर काम प्रारंभ होगा तो सरकार को राजस्व की प्राप्ति होगी। स्थानीय लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। गाँव की अर्थ-व्यवस्था में एवं प्रभावित क्षेत्र का विकास में तेजी आयेगी।

जन-सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता के सुझाव को संग्रहित करते हुए सक्षम प्राधिकार को अग्रसारित करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।

BT
5-7-4
क्षेत्रीय पदाधिकारी
बि.रा.प्र.नि.पर्वद,पटना

Shyam
अपर समाहर्ता,
नालंदा

उपस्थिति सूची

श्री नागेन्द्र कुमार द्वारा नालंदा लोकाईन-01 एवं 04 बालू घाट, मौजा+ग्राम-कोबिल, ब्लॉक-एकंगरसराय, जिला-नालंदा में आयोजित लोक-सुनवाई के दौरान उपस्थित व्यक्तियों की सूची:

स्थान-अंचल कार्यालय, एकंगरसराय

दिनांक 30.08.2023

समय-03:00 P.M.

क्र.सं.	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	Manjit Kumar	ADM Nalanda	
2.			
3.	सुदेश कुमार	विभा खनन परी., 11/15	
4.	Amitz Akhtar	Rico Enviro Pvt Ltd Env. Consultant Patna	
5.	Md Rashid Akbar	Ream Enviro Pvt	
6.	श्री नागेन्द्र कुमार	कोबिल	
7.	सुनील कुमार	कोबिल	
8.	वज्रिभारती	शुभकामपुर	
9.	Sudhanshu Kumar	Vishnuapur	
10.	सुमान कुमार	कोबिल	
11.	Rahul Kumar	Ruchanpara	
12.	Sansay Kumar	Kubil	
13.	Sanjay Singh	Kobail	
14.	लाला सिंह	कोबिल	
15.			

16	Pravin Kumar	Walthamstow	Pravin Kumar
17	Somy Kumar	Kobid	Somy Kumar
18	नन्द प्रसाद	सौरभ चं। भा।	नन्द प्रसाद
19	उपेन्द्र प्रसाद	सौरभ चं। भा।	उपेन्द्र प्रसाद
20	विजेन्द्र प्रसाद	सौरभ चं। भा।	विजेन्द्र प्रसाद
21	अमरेंद्र कुमार	दरभयपुर	अमरेंद्र कुमार
22	आरविनेश कुमार	दरभयपुर	आरविनेश कुमार
23	Houn Kumar	Chhassapur	Houn Kumar
24	Raj Balam	Chhassapur	Raj Balam
25	अविनाश कुमार	कोविना	अविनाश कुमार
26	रमेश कुमार	कोविना	रमेश कुमार
27	अरवि कुमार	कोविना	अरवि कुमार
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			